संख्या-66/2017/1566/22-2-2016-17(313)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवमंगल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिवमंगल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, ग्राम रावतपुर, थाना-सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। दिनांक 17-02-1981 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिवराज सिंह की लाठी व कांतों से पिटाई कर घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। हत्या का कारण पारिवारिक जमीन को लेकर हुए विवाद में है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-272/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 148 में मा0 सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 28-11-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-03-1998 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 18 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 11 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी मे होने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने तथा कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा, आयु तथा स्वास्थ्य को देखते हुए रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवमंगल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद- शाहजहांपुर को फार्म'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-20748(एम0/बी0)/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवमंगल सिंह (बन्दी संख्या-34330) पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-66/2017/1566(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-शाहजहांपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-66/2017/1566@22-2-2016-17(313)/2016

दिनांक 31 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी शिवमंगल सिंह (बन्दी संख्या-34330) पुत्र श्री गंगा सिंह, ग्राम रावतपुर, थाना-सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। दिनांक 17-02-1981 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिवराज सिंह की लाठी व कांतों से पिटाई कर घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। हत्या का कारण पारिवारिक जमीन को लेकर हुए विवाद में है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-272/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 148 में मा0 सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 28-11-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-03-1998 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 18 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 11 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी मे होने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने तथा कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा, आयु तथा स्वास्थ्य को देखते हुए रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवमंगल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद- शाहजहांपुर को फार्म'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।